

कार्यालय, सचिव जनभागीदारी समिति
शासकीय आदर्श विज्ञान महाविद्यालय (स्वशासी), पचपेढी, जबलपुर 482001

जनभागीदारी/स्ववित्तीय मद अंतर्गत अतिथि विद्वान व्यवस्था हेतु आमंत्रण
सत्र 2022-23

महाविद्यालय के निम्नलिखित पाठ्यक्रमों/विषयों में अतिथि विद्वान व्यवस्था हेतु निर्धारित योग्यताधारी उम्मीदवारों से आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं।

| क्र. | पाठ्यक्रम/ विषय | कायमार अनुसार उपलब्धता | न्यूनतम अर्हताएं |
|------|--------------------|------------------------|---|
| 1 | पर्यावरण विज्ञान | 02 | मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर उपाधि M.Sc. Env. Science |
| 2 | पर्यावरण जागरूकता | 01 | मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर उपाधि M.Sc. Env. Science/Botany |
| 3 | उद्यमिता | 01 | मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर उपाधि MA Economics/ M.com/MBA |
| 4 | कम्प्यूटर जागरूकता | 01 | मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर उपाधि M.Sc. Computer Science / MCA |
| 5 | माइक्रोबायोलॉजी | 02 | मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर उपाधि M.Sc. Microbiology |
| 6 | बायोटेक्नालॉजी | 02 | मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर उपाधि M.Sc. BioTechnology |
| 7 | बायो केमिस्ट्री | 01 | मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर उपाधि M.Sc. Bio Chemistry /Chemistry |
| 8 | बी.सी.ए | 01 | मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर उपाधि (MCA/MTech) |
| 9 | कम्प्यूटर विज्ञान | 01 | मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर उपाधि M.Sc. Computer Science |
| 10 | गणित | 03 | मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से संबंधित विषय में स्नातक एवं स्नातकोत्तर उपाधि |
| 11 | प्राणी शास्त्र | 02 | मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से संबंधित विषय में स्नातक एवं स्नातकोत्तर उपाधि |
| 12 | बादनी | 01 | मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से संबंधित विषय में स्नातक एवं स्नातकोत्तर उपाधि |

नोट

❖ लेटरल एण्ट्री या पत्राचार पाठ्यक्रम मान्य नहीं होंगे।

:-

❖ स्नातकोत्तर स्तर पर, न्यूनतम 55 प्रतिशत अंक होना अनिवार्य है

❖ पृथक पृथक विषय हेतु पृथक पृथक आवेदन पत्र प्रस्तुत करना होगा।

❖ जिन आवेदकों ने पूर्व में आवेदन किया है, उन्हें पुनः आनलाइन आवेदन करना आवश्यक है।

❖ महाविद्यालय कार्यालय में आवेदन पत्र प्राप्ति की अंतिम तिथि 14.08.2022 तक

आमंत्रण हेतु मेरिट/वरीयता निर्धारण की प्रक्रिया उच्च शिक्षा विभाग, मध्यप्रदेश शासन भोपाल एवं यू.जी.सी.मापदण्डों के दिशानिर्देशों के अनुरूप होगी। अतिथि विद्वान को मानदेय भुगतान 250 रुपये प्रति कालखण्ड अधिकतम 750 रुपये प्रतिदिन की दर से किया जाएगा।

इच्छुक योग्य उम्मीदवार अपने आवेदन लिंक <https://forms.gle/w1fVX9GaUswGFHGdA> में महाविद्यालय में दिनांक 14.08.2022 तक भर सकते हैं।

आवेदन में उल्लेखित जानकारी, साक्षात्कार के समय सत्यापन/प्रमाणीकरण असत्य पाये जाने पर आवेदन निरस्त कर दिया जायेगा।

सचिव / जनभागीदारी समिति
शासकीय आदर्श विज्ञान महाविद्यालय (स्वशासी),

अतिथि विद्वान हेतु सामान्य नियम एवं माप दण्ड

अतिथि विद्वानों के चयन हेतु मेरिट/वरीयता निर्धारण की प्रक्रिया उच्चशिक्षा विभाग शासन भोपाल से समय समय पर प्राप्त दिशा निर्देशों एवं यू.जी.सी. द्वारा निर्धारित मापदण्डों के अनुरूप पूर्णतया मेरिट के आधार पर होगी। वरीयता क्रम एवं मेरिट अंको /अधिभार की गणना निम्नानुसार रहेगी।

| | |
|----------|-------------------------------|
| श्रेणी 1 | पी.एच.डी तथा नेट/सेट के लिए |
| श्रेणी 2 | पी.एच.डी अथवा नेट/ सेट के लिए |
| श्रेणी 3 | एम. फिल के लिए |
| श्रेणी 4 | न्यूनतम अर्हता के लिए |

स्नातकोत्तर स्तर पर प्राप्तांकों के लिए अधिकतम 50 मेरिट अंक (55 प्रतिशत के लिए 05 अंक , 56 से 100 प्रतिशत के मध्य प्रत्येक 01 प्रतिशत के लिए 01 अंक दिया जाएगा।)

श्रेणी 1 के आवेदकों के नाम पर सर्वप्रथम विचार किया जाएगा। इस श्रेणी का कोई व्यक्ति उपलब्ध न होने पर श्रेणी 2 के आवेदकों के नाम पर विचार किया जाएगा। श्रेणी 1 एवं श्रेणी 2 के आवेदक उपलब्ध न होने पर श्रेणी 3 आवेदकों के नाम पर विचार किया जाएगा। श्रेणी 1 , श्रेणी 2 एवं श्रेणी 3 के आवेदक उपलब्ध न होने पर श्रेणी 4 आवेदकों के नाम पर विचार किया जाएगा। श्रेणी 1 , श्रेणी 2 , श्रेणी 3 एवं श्रेणी 4 के आवेदक उपलब्ध न होने पर श्रेणी 5 आवेदकों में से गुणानुक्रम के आधार पर विचार किया जाएगा। उपरोक्त श्रेणियों में कोई आवेदक उपलब्ध न होने पर स्नातकोत्तर अर्हता वाले आवेदकों में से गुणानुक्रम के आधार पर विचार किया जाएगा।

महाविद्यालयीन कक्षाओं में संबंधित विषय में शिक्षण अनुभव के लिए 4 अंक प्रति सत्र के आधार पर अधिकतम 20 अंक का अधिभार दिया जाएगा। पिछले सत्रों में कियेवास्तविक शिक्षण कार्य जिसके लिए संबंधित शासकीय महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा जारी भुगतान पत्रक के अनुसार कार्य दिवसों (कालखण्डों) को ही अनुभव अधिभार हेतु जोड़ा जाएगा। यह स्पष्ट किया जाता है कि शासकीय महाविद्यालयों में जिन आवेदकों ने कार्य किया होगा उसी अनुभव को अधिभार के रूप में शामिल किया जाएगा। एक अकादमिक सत्र में 151 या अधिक कालखण्ड के 4 अंक, 101 से 150 कालखण्ड के मध्य 3 अंक, 51 से 100 कालखण्ड के मध्य 2 अंक एवं 50 या उससे कम कालखण्ड होने पर 1 अंक दिया जावेगा।

अनुसूचित जाति , अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग को (क्रीमीलेयर को छोड़कर) सामान्य प्रशासन विभाग के दिशा निर्देशों के अनुरूप स्नातकोत्तर प्राप्तांकों में 10 प्रतिशत अंको का अधिभार दिया जाकर गुणानुक्रम /मेरिट निर्धारण किया जाएगा। परन्तु यह अधिभार समुचित स्थाई जाति प्रमाण पत्र संलग्न होने पर दिया जाएगा।

मानदेय भुगतान विषय विशेष की स्ववित्तीय निधि/जनभागीदारी मद में उपलब्ध राशि के अनुसार किया जाएगा जो सीमित अवधि के लिए होगा। शासन द्वारा अतिथि विद्वानों के चयन हेतु गुणानुक्रम/मेरिट की प्रक्रिया में समय समय पर प्राप्त नियम एवं संशोधन लागू होंगे।

चयन पश्चात आमंत्रित अतिथि विद्वान किसी भी हैसियत से महाविद्यालय स्थापना के अंतर्गत नहीं माने जाएंगे, ना ही वे लोक सेवक की विधि विहित परिभाषा के अंतर्गत " लोक सेवक " माने जाएंगे।

इच्छुक योग्य उम्मीदवार अपने आवेदन निर्धारित आनलाइन लिंक <https://forms.gle/w1fVX9GaUswGFHGdA> में दिनांक 14.08.2022 तक जमा करें।

अभ्यर्थियों को स्थानीय आवश्यकतानुसार अस्थायी कालावधि के लिए आमंत्रित किया जावेगा।

आवेदन में उल्लेखित जानकारी, सत्यापना के समय असत्य पाये जाने पर आवेदन निरस्त कर दिया जायेगा।

सचिव / जनभागीदारी समिति
शासकीय आदर्श विज्ञान महाविद्यालय (स्वशासी),
जबलपुर